झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या–वाकर/विविध/80/2015– **/रॉची, दिनांक–**

प्रेषक,

निधि खरे
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

प्रधान सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **दिनांक 29.10.2015 को सलाहकार समिति की बैठक से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

उपार्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक 29.10.2015 को व्यवसायियों के की सलाहकार समिति की बैठक से संबंधित **प्रेस विज्ञप्ति** पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रमुखता से स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(निधि खरे)
सचिव–सह–आयुक्त।

अनु0–यथोक्त।

ज्ञापांक– 4226 **/रॉची, दिनांक–** 29/10/15

प्रतिलिपि– सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/अपील/वैट ऑडिट/ सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.X.15

(युगल किशोर)
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

प्रेस विज्ञप्ति।

दिनांक 29.10.2015 को सम्पन्न व्यवसायियों की सलाहकार समिति की बैठक में हुए विचार–विमर्श के आलोक में विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिए गए :–

1. व्यवसायियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Return) के साथ देय अनिबंधित व्यवसायियों को बेचे गये मालों के लिए **बीजकवार (Invoice Wise) विवरण समर्पित करने की बाध्यता समाप्त की जाती है।**

2. कर–समाहितकरण योजना (Tax-Composition Scheme) हेतु समर्पित निबंधन आवेदनों को आवश्यक रूप से **5 दिनों की अवधि में निष्पादित किया जाएगा।**

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर–समाहितकरण योजना (Tax-Composition Scheme) के अवधि–विस्तार/समाप्त करने के विकल्प की अवधि को बढ़ाकर **30 नवम्बर, 2015 किया जाता है।**

4. वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में समर्पित वार्षिक विवरिणयों को संशोधित करने की सुविधा **एक महीनें के लिए (01 नवम्बर, 2015 से 30 नवम्बर, 2015) मात्र एक बार (One Time Facility)** वैसे व्यवसायियों को दी जाएगी जिनके द्वारा निर्गत ऑनलाईन प्रपत्र 'सी' / प्रपत्र 'एफ' में गलतियाँ हो गयी हैं। **01 दिसम्बर, 2015 से उक्त सुविधा उपलब्ध नही होगी।**

5. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अधीन प्रावधानित **40 लाख रूपये के ऑडिट सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।**

6. **ऐच्छिक निबंधन (Voluntary Registration)** के प्रावधान के सरलीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

7. **व्यवसायियों की सुविधा हेतु स्व कर–निर्धारण (Self Assessment)** को प्रोत्साहन दिया जाएगा।